Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **कोटा में सरपंच को 1 हजार रूपये नगद एवं 2 लाख 50 हजार के चैक सहित रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **कोटा में थाना ईटावा के सहायक उप निरीक्षक के दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) को 40 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *09 मार्च।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी कोटा इकाई द्वारा आज मंगलवार को कोटा में दो पृथक–पृथक कार्यवाही करते हुये सरपंच ग्राम पंचायत गैंता तहसील पीपल्दा भवानीशंकर नागर को 2 लाख 50 हजार के दो चैक तथा 1 हजार रूपये नगद तथा थाना ईटावा के सहायक उप निरीक्षक रणवीर सिंह के दलाल रामसिंह हाडा को 40 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की कोटा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी ग्राम गैंता में स्थित कृषि भूमि का नामांतरण खोलने एवं दादी का मृत्यु प्रमाण पत्र देने की एवज में सरपंच भवानी शंकर नागर द्वारा 2 लाख 50 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है। जिस पर एसीबी कोटा इकाई के **अति. पुलिस अधीक्षक श्री ठाकुर चन्द्रशील कुमार** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री अजीत बगडोलिया व उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये भवानी शंकर नागर पुत्र सूरज मल निवासी धाकड का मौहल्ला ग्राम गेंता थाना ईटावा जिला कोटा हाल सरपंच ग्राम पंचायत गेंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा को परिवादी से 1 हजार रूपये नगद व 2 लाख 50 हजार के दो चैक रिश्वत राशि के रूप में लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

इसी प्रकार **महानिदेशक श्री सोनी** ने बताया कि एसीबी की कोटा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्ध थाना ईटावा पर दर्ज प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी सहायक उप निरीक्षक रणवीर सिंह द्वारा मामले को रफा–दफा करने की एवज में अपने दलाल रामसिंह हाडा के माध्यम से 3 लाख रूपये रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है। जिस पर एसीबी कोटा इकाई के **अति. पुलिस अधीक्षक श्री ठाकुर चन्द्रशील कुमार** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री नरेश चौहान व उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये रामसिंह हाडा पुत्र उदय सिंह (प्राईवेट व्यक्ति) निवासी ग्राम गैंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा को परिवादी से 40 हजार रूपये रिश्वत की राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सहायक उप निरीक्षक रणवीर सिंह एसीबी कार्यवाही की भनक पाकर मौके से फरार हो गया है जिसकी तलाश जारी है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।